**भारत सरकार**
**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**
**औषध विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3348**
**दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना**

**3348. श्री अरुण भारतीः**
**श्री राजेश वर्माः**
**श्रीमती शांभवीः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की प्रचालन संबंधी प्रगति क्या है;
(ख) विगत एक वर्ष के दौरान बिहार के सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण प्रखंडों में स्वीकृत, खोले गए और वर्तमान में संचालित नए जनऔषधि केंद्रों (जेएके) की कुल संख्या क्या है;
(ग) बिहार में जेनेरिक औषधियों की खरीद के माध्यम से हुई कुल बिक्री और जेब से होने वाले खर्च में अनुमानित बचत का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को उक्त राज्य में केंद्रों पर गंभीर दीर्घकालिक रोगों के लिए आवश्यक औषधियों की बार-बार स्टॉक समाप्त होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की सूचना प्राप्त हुई है; और
(ङ) उक्त राज्य में जेनेरिक औषधियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रीय भांडागार स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा संभार तंत्र संबंधी क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क) से (ग):** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार राज्य में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की परिचालन प्रगति इस प्रकार है:

- बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 410 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं, जिनमें सरकारी अस्पतालों में 3 केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों में 309 केंद्र शामिल हैं।
- बिहार राज्य में ₹219.18 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान नागरिकों को लगभग ₹876.72 करोड़ की अनुमानित बचत हुई है।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 1 रुपये प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बिहार राज्य में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 1.17 करोड़ से अधिक जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन की बिक्री की गई है।

**(घ):** स्टॉक की उपलब्धता की निरंतर निगरानी की जाती है, और स्टॉक की कमी को दूर करने और बिहार सहित पूरे देश में आवश्यक दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

आपूर्ति संबंधी किसी भी व्यवधान को दूर करने और जेएके में औषधियों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सितंबर 2024 से, योजना उत्पाद बास्केट में शीर्ष 100 बिक्री होने वाली दवाओं और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाली 100 दवाओं सहित 200 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं का जेएके द्वारा स्टॉक रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन दवाओं के अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ने के लिए एक संपूर्ण सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें पांच मालगोदाम और देश भर में वितरकों, जिनकी वर्तमान संख्या 42 है, का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिक्री होने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूर्वानुमान पद्धति को डिजिटाइज़ करने के कदम उठाए गए हैं।

**(ङ):** इस समय, बिहार राज्य में क्षेत्रीय मालगोदाम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****